Released on 09th Feb, 2018 in Times of India

ओएनजीसी
ONGC
**Oil and Natural Gas Corporation Limited**
Regd. Office: Deendayal Urja Bhawan,
5, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070
CIN: L74899DL1993GOI054155
Website: www.ongcindia.com, Email: secretariat@ongc.co.in
Phone: 011-26754072, FAX: 011-26129091

# NOTICE TO SHAREHOLDERS

## TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND (IEPF)

This NOTICE is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules) issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and subsequent amendment thereto.

IEPF Rules, inter-alia, provide for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid to or claimed by the shareholders for seven consecutive years to the Investor Education and Protection Fund (Fund) set up by the Central Government. As per Rule 6(1), "The shares shall be credited to DEMAT Account of the Authority to be opened by the Authority for the said purpose, within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred to the Fund."

The Company had transferred its unpaid Interim Dividend Account, 2010-11 to IEPF on 15.01.2018. Accordingly, the Shares are due to be transferred to the Fund by 15.02.2018.

Therefore, NOTICE is given to the shareholders that the Company will proceed to initiate action for transfer of shares to the Fund in respect of the shares on which dividend remain unclaimed for FY 2010-11 (Interim) onwards within 30 days from due date i.e.15.01.2018, without any further notice by following the due process as under:

i) In case of shares held in demat mode – by transfer of shares directly to demat account of the Fund through the DPs of the shareholder concerned;
ii) In case of shares held in physical form – by issuance of new share certificate and thereafter transferring the same to the Fund by converting into Demat through depository.

The shareholder may please note that the updated list of such shares which are liable to be transferred to the Fund has been uploaded on the Company's website at www.ongcindia.com

It may be noted that the shares transferred to the Fund, including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed from the IEPF Authority by following the procedure prescribed under the said Rules.

For any further clarification you may kindly contact the Company's Registrar and Transfer Agents: Mr. J K Singla, Alankit Assignments Ltd., Alankit Heights, 1E/13, Jhandewalan Extension, New Delhi- 110055 Tel: 91-11-4254 1234/1960, Fax: 91-11-42541201/ 23552001, E-mail: jksingla@alankit.com Nodal officer of ONGC: Ms. Nisha Dhingra, Tel: 01126754072, E-mail: secretariat@ongc.co.in

For Oil and Natural Gas Corporation Limited
Sd/-
M E V Selvamm
Company Secretary

New Delhi
07.02.2018

नवभारत टाइम्स

02/02/2018

**ओएनजीसी** **ONGC**

**ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड**


पंजीकृत कार्यालय: दीनदयाल ऊर्जा भवन,
5, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
सीआईएन: एल74899डीएल1993जीओआई054155
वेबसाइट: www.ongcindia.com ई–मेल: secretariat@ongc.co.in
दूरभाष: 011-26754272, फैक्स: 011-26129091


## शेयरधारकों को सूचना

## निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह नोटिस कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसमें बाद के संशोधनों के अनुसरण में प्रकाशित किया जाता है ।

आईईपीएफ नियमों में, अन्य बातों के साथ–साथ, सभी शेयर हस्तांतरण के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें से पिछले सात वर्षों से शेयर धारकों द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (निधि) में किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा इसका दावा नहीं किया गया है। नियम 6(1) के अनुसार, "ये शेयर, निधि में अंतरित किए जाने के लिए इनके देय होने की तिथि से तीस दिवस की अवधि के अंदर प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए खोले गए डिमेट खाते में जमा कर दिया जाएगा।"

कंपनी ने वर्ष 2010–11 के अदत्त अंतरिम लाभांश खाता, को आईईपीएफ में 15.01.2018 को अंतरित कर दिया था। तदनुसार, ये शेयर 15.02.2018 तक इस निधि में अंतरित किए जाने के लिए देय हैं।

इसलिए, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कंपनी आगे और कोई नोटिस दिए बिना निम्नवत सम्यक प्रक्रिया अपनाते हुए देय तिथि अर्थात् 15.01.2018 से 30 दिनों के अंदर उन शेयरधारकों के शेयरों के अंतरण के लिए कार्रवाई शुरू करेगी जिनके वित्त वर्ष 2010–11 (अंतरिम) के लाभांश अदावाकृत रह गए हैं:

i) डिमेट पद्धति में धारित शेयरों के मामले में – संबंधित शेयरधारकों के डीपी के माध्यम से इस निधि के डिमेट खाते में प्रत्यक्ष शेयर अंतरण द्वारा;

ii) भौतिक स्वरूप में धारित शेयरों के मामले में – नये शेयर जारी कर और तत्पश्चात् उन्हीं शेयरों को डिमेट में रूपांतरित कर निक्षेपागार के माध्यम से उक्त निधि में अंतरित कर।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि ऐसे शेयरों की अद्यतित सूची, जो इस निधि में अंतरित होने के दायी हैं, कंपनी की वेबसाइट www.ongcindia.com पर अपलोड कर दी गयी है।

यह नोट किया जा सकता है कि इस निधि में अंतरित शेयरों का, ऐसे शेयरों पर प्रोद्भूत सभी लाभ, यदि कोई, सहित, उक्त नियमों के अंतर्गत विहित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकारी से दावा किया जा सकता है ।

किसी और स्पष्टीकरण के लिए आप कंपनी रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट श्री जे के सिंगला, अलंकित एसायनमेंट लि., अलंकित हाईट्स, 1ई/13, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 दूरभाष: 91–11–4254 1234/1960, फैक्स: 91–11–4254 1201/23352001, ई–मेल: jksingla@alankit.com अथवा ओएनजीसी की नोडल अधिकारी: श्रीमती निशा ढींगड़ा, दूरभाष: 01126754072, ई–मेल: secretariat@ongc.co.in से संपर्क कर सकते हैं।

कृते ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड

ह/–

एमईवी सेलवम्म

कंपनी सचिव

नई दिल्ली

07.02.2018